कार्यालय मुख्य अभियन्ता–द्वितीय : राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर.

क्रमांक :– मुअ–द्वि/राआम/2013/1345 दिनांक :– 30.10.13

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर वृत प्रथम/द्वितीय/तृतीय,
वृत प्रथम/द्वितीय, जोधपुर,
वृत बीकानेर, उदयपुर, अलवर एवं
कोटा।

विषय :– 'दीर्घकालिक पंजीकृत आवेदकों से आवेदित शहर में अभी तक मकान/फ्लेट/भूखण्ड नहीं होने के आशय का पुनः लिये जाने वाले शपथ–पत्र, कवरिंग लेटर तथा आवेदित शहर/कस्बे में मकान व भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य निकटस्थ शहर/कस्बे/योजना में मकान/फ्लेट आवण्टन स्वीकार्यता सम्बन्धी "विकल्प–पत्र" के सम्बन्ध में।

सामान्य पंजीकरण, विशिष्ट पंजीकरण एवं स्ववित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न शहरों एवं योजनाओं में लम्बित पंजीकृत आवेदकों की समीक्षा एवं उन्हे यथाशीघ्र आवास/फ्लेट उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवासन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18/10/2013 को सम्पन्न हुई बैठक के मिनट्स पत्रांक मु.अ./राआमं/ 2013/1338 दिनांक 28/10/2013 के माध्यम से सम्प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, दीर्घकालिक पंजीकृत आवेदकों से आवेदित शहर में अभी तक मकान/फ्लेट/भूखण्ड नहीं होने के आशय का पुनः लिये जाने वाले शपथ–पत्र, कवरिंग लेटर तथा आवेदित शहर/कस्बे में मकान व भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य निकटस्थ शहर/कस्बे/योजना में मकान/फ्लेट आवण्टन स्वीकार्यता सम्बन्धी "विकल्प–पत्र" के सक्षम स्तर से अनुमोदित प्रारूप की प्रतियां संलग्न कर, अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही हैं।

कार्यवाही विवरण के क्रम में, आपको एक बार पुनः निर्देशित करना चाहूंगा कि बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, आपके वृत की कार्य–योजना अविलम्ब मुख्यालय को प्रेषित करें।

इसे उच्च प्राथमिकता दी जावे।

ह0/–
मुख्य अभियन्ता–द्वितीय,
रा0आ0मं0, जयपुर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
<u>प्रतिलिपी मय संलग्नक</u> आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/तृतीय, जयपुर एवं जोधपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. उप निदेशक (कम्प्यूटर), रा0आ0मं0, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के साथ संलग्न सभी प्रारूपों को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

मुख्य अभियन्ता–द्वितीय

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत ....

क्रमांक :–   दिनांक :–

श्री ....
....
....
....

विषय :– आवेदित शहर में आवास/फ्लेट/भूखण्ड नहीं होने सम्बन्धी शपथ–पत्र पुनः प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ :– आपका पंजीकरण क्रमांक ....दिनांक........................ एवं वरीयता क्रमांक..

महोदय,

आपने मण्डल की सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण योजना, वर्ष ....के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के .... शहर में .... आयवर्ग के आवास/फ्लेट आवण्टन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवेदन पत्र के साथ आपके स्वयं अथवा आपकी पत्नी/पति या आप पर आश्रित सम्बन्धी के पास आवेदित ....शहर में फ्री–होल्ड अथवा लीज–होल्ड किसी भी प्रकार के पूर्ण या आंशिक आवास/फ्लेट/भूखण्ड नहीं होने के आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। चूंकि पंजीकरण के लगभग .... वर्ष पश्चात भी मण्डल द्वारा आवास/फ्लेट आवण्टित नहीं होने की स्थिति में, आप द्वारा किसी अन्य वैकल्पिक स्रोत से आवास/फ्लेट/भूखण्ड अर्जित कर लिये जाने की प्रबल सम्भावनाएं हैं। आवास/फ्लेट आवण्टन से पूर्व, मण्डल नियमानुसार, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आपने आवेदित शहर में अभी तक किसी अन्य वैकल्पिक स्रोत से कोई आवास/फ्लेट/भूखण्ड अर्जित नहीं किया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि रू. 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप के अनुरूप शपथ–पत्र तैयार कर तथा नोटेरी से सत्यापित करवाकर, इस पत्र के जारी होने की तिथी से 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि तदनुसार आवास/फ्लेट आवण्टन सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके। निर्धारित समयावधि में शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर, यह माना जायेगा कि आपने वैकल्पिक आवास/फ्लेट/भूखण्ड अर्जित कर लिया है तथा मण्डल नियमानुसार आपके पंजीकरण को निरस्त कर, जमा पंजीकरण राशि रिफण्ड कर दी जायेगी।

भवदीय,

सम्पदा प्रबन्धक,
रा0आ0मं0, वृत..........................

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

शपथ पत्र का प्रारूप

केवल पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिए

शपथ–पत्र

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री... आयु.. ....वर्ष, जाति............................ निवासी..एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. यह कि मैंने आवासन मण्डल की सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण योजना, वर्ष .... के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के ....शहर में, ... आयवर्ग के आवास/फ्लेट आवण्टन हेतु जरिये चालान संख्या (पंजीकरण क्रमांक) .... राशि रू0 .... जमा करवाकर, अपना पंजीकरण करवाया था एवं उक्त पंजीकरण की एवज में मण्डल द्वारा मेरा वरीयता क्रमांक .... निर्धारित किया गया।

2. यह कि पंजीकरण के समय, मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित सम्बन्धी के पास आवेदित ....शहर में फ्री–होल्ड अथवा लीज–होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/भूखण्ड नहीं होने के आशय का शपथ–पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था।

3. यह कि उक्त पंजीकरण के पश्चात आज दिनांक .... तक भी मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित सम्बन्धी द्वारा आवेदित ....शहर में, किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था, निजी बिल्डर्स, गृह निर्माण सहकारी समिति अथवा किसी अन्य स्रोत से फ्री–होल्ड अथवा लीज–होल्ड प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/फ्लेट/भूखण्ड अर्जित नहीं किया गया है।

4. यह कि आवेदित शहर में मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित के पास आवास/फ्लेट/भूखण्ड की अनुपलब्धता से सम्बन्धित उपरोक्त तथ्यों में कोई मिथ्याकथन अथवा तथ्यों को छिपाने सम्बन्धी स्थिति मण्डल के संज्ञान में आती है तो मेरे पंजीकरण/आवण्टन को निरस्त करने के साथ ही मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये मण्डल स्वतन्त्र होगा।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर/बांये हाथ की अंगूठा–निशानी

सत्यापन

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूं कि उपरोक्त पैरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर/बांये हाथ की अंगूठा–निशानी

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत ....

क्रमांक :—   दिनांक :—

श्री ....
....
....
....

विषय :— आपके .... शहर/योजना में पंजीकरण की एवज में .... शहर/योजना में आवास आवण्टन सम्बन्धी सहमति प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ :— आपका पंजीकरण/वरीयता क्रमांक ....

महोदय,

आपने मण्डल की सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण योजना, वर्ष ....के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के .... शहर/योजना में .... आयवर्ग के आवास आवण्टन हेतु पंजीकरण करवाया था, लेकिन, मण्डल के अथक प्रयासों के बावजूद भी आवेदित शहर/योजना में मण्डल के पास निर्मित आवास/फ्लेट अथवा आवास/फ्लेट निर्माण के प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त शहर/योजना में आपको आवास/फ्लेट आवण्टित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

आवासन मण्डल की योजनाओं में आप द्वारा व्यक्त किये गये विश्वास को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदित शहर/योजना के निकटस्थ ....शहर/कस्बे की .... आवासीय योजना में आपको उक्त पंजीकरण के विरूद्ध आवास या फ्लेट जो भी उपलब्ध हो आवण्टित किया जाना सम्भव हो सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि आवेदित शहर/योजना की बजाय ....शहर/कस्बे की . ... आवासीय योजना में आवास (मकान या फ्लेट) आवण्टन हेतु आपकी सहमति इस पत्र के जारी होने की तिथी से 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, ताकि तदनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके। निर्धारित समयावधि में आपकी सहमति प्राप्त नहीं होने पर, यह मानते हुए कि आपको वैकल्पिक शहर/योजना में आवास (मकान या फ्लेट) आवण्टन स्वीकार्य नहीं है, आपके पंजीकरण को निरस्त कर, जमा पंजीकरण राशि रिफण्ड कर दी जायेगी। नये शहर/कस्बे में, किसी अन्य स्रोत से अर्जित, आपके स्वयं अथवा आपकी पत्नी/पति या आप पर आश्रित सम्बन्धी के पास फ्री–होल्ड अथवा लीज–होल्ड किसी भी प्रकार के पूर्ण या आंशिक आवास/फ्लेट/भूखण्ड नहीं होने के आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि नये शहर/कस्बे/योजना में मण्डल की उपलब्धता के अनुसार आपको मकान अथवा फ्लेट का आवण्टन किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में आपकी कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

भवदीय,

सम्पदा प्रबन्धक,
रा0आ0मं0, वृत..........................